COMMERCIAL UNIT	UP RVUN	U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक – 334 / उनिलि / मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0–10

दिनांक : 07 , मई , 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– विभागीय सेवारत कार्मिकों को एल0एम0वी0–10 विधा के अन्तर्गत निर्गत विद्युत संयोजनों का दुरूपयोग रोकने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के अनुमोदनोपरान्त (प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 कार्यालय डायरी सं0 253(टी0सी0) / एम0डी0 / आर0वी0यू0एन0एल0, दिनांक 04.05.2019) विभागीय सेवारत कार्मिकों द्वारा एल0एम0वी0–10 विधा के अन्तर्गत प्राप्त विद्युत संयोजन की सुविधा के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से टैरिफ आदेश के एल0एम0वी0–10 रेट शिड्यूल के प्रस्तर–4 (i) से 4 (vii) में प्राविधानो का उल्लेख है (संलग्नक–1), तद्नुरूप उ0नि0लि0 के विभागीय कार्मिकों के विद्युत सुविधा के सम्बन्ध में निम्ननिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. टैरिफ आदेश का एल0एम0वी0–10 रेट शिड्यूल के सभी प्राविधानों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि टैरिफ के प्राविधानों के अनुसार कार्मिकों द्वारा इस सुविधा का उपभोग केवल एक स्थान पर ही किया जा रहा है तथा इसका उपभोग उनके तथा उनके आश्रितों द्वारा केवल घरेलू उपभोग के उद्देश्य से ही किया जा रहा है।
3. कार्मिकों के स्थानान्तरण होने पर नवतैनाती स्थल पर यह सुविधा तभी अनुमन्य की जाये जब पूर्व तैनाती स्थल के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह सुविधा समाप्त करने का प्रमाण–पत्र दे दिया गया हो।
4. परियोजना पर एल0एम0वी0–10 सुविधा प्राप्त कार्मिकों को उनके द्वारा परियोजना पर इस सुविधा के स्थान पर एल0एम0वी0–1 की सुविधा एवं अन्यत्र निजी आवास में एल0एम0वी0–10 हेतु आवेदन पर भविष्य में विचार ना किया जाये।
5. लखनऊ मुख्यालय से किसी परियोजना को स्थानान्तरित ऐसे कार्मिक जिन्होंने लखनऊ में अपने निजी आवास में एल0एम0वी0–10 की सुविधा ले रखी हैं, उन्हें परियोजना पर एल0एम0वी0–10 की सुविधा तभी प्रदान की जाये जब लखनऊ डिस्काम खण्ड के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह सुविधा समाप्त करने का प्रमाण पत्र दे दिया गया हो। यदि सम्बन्धित कार्मिक यह प्रमाण पत्र परियोजना में नहीं जमा कर पाता है तो परियोजना आवास में उसे एल0एम0वी0–1 की सुविधा ही प्रदान की जाये। सम्बन्धित कार्मिक से यह भी शपथ–पत्र (Affidavit) लिया जाये कि लखनऊ स्थित आवास में एल0एम0वी0–10 सुविधा के साथ उसके आश्रित के अलावा कोई किरायेदार आदि नहीं रह रहा हैं। ऐसी स्थिति में एल0एम0वी0–10 श्रेणी के निर्धारित शुल्क को लखनऊ स्थित सम्बन्धित वितरण खण्ड में जमा करने की जिम्मेदारी कार्मिक पर होगी तथा एल0एम0वी–10 के विरूद्ध विद्युत शुल्क उसके वेतन से काटकर जमा करने की जिम्मेदारी परियोजना पर नहीं होगी। परियोजना द्वारा केवल कार्यालय ज्ञापन 84 / उनिलि / मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0–10, दिनांक 01.02.2019 के बिन्दु –4 के अनुपालन में वास्तविक विद्युत बिलिंग एवं जमा की गयी धनराशि के गैप का भुगतान करना होगा।
6. एल0एम0वी0–10 की सुविधा के दुरूपयोग पाये जाने पर संलिप्त कार्मिक की इस सुविधा कों तत्काल समाप्त कराया जाये साथ ही संलिप्त कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही ~~को~~ भी प्रारम्भ की जायेगी।
7. कार्मिकों से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र (Affidavit) प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। (संलग्नक–2)

संलग्नकः–यथोपरोक्त।

(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

COMMERCIAL UNIT	UP RVUN	U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक – 334 / उनिलि / मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0–10. दिनांक : 07, मई , 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (परि0 एवं वा0 / तकनीकी / वित्त / कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक – 334 / उनिलि / मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0–10 दिनांक : 07, मई , 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

4. मुख्य अभियन्ता (परियोजना समन्वयक), अनपरा, ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज, पनकी, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजनायें।
5. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन / ईंधन / आर0 एण्ड एम0 / पी0पी0एम0एम0 / पर्या0 एवं सुरक्षा / जानपद– नव परि0 / मानव संसाधन / प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को संलग्नकों सहित उत्पादन निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
7. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी, समस्त परियोजनायें, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0।

→ LMV-10 File

(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

RATE SCHEDULE LMV– 10:

DEPARTMENTAL EMPLOYEES AND PENSIONERS:

1. **APPLICABILITY:**

This schedule shall apply only to such employees (including the cases of retired / voluntary retired or deemed retired) of Licensees / successor entities of erstwhile Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), who own electricity connection in their own name and opt for the same for their own use for light, fan and power for domestic appliances, where the energy is being fed directly from Licensee mains. The Schedule shall also apply to spouse of employees served under Licensees / successor entities of erstwhile UPSEB.

2. **RATE:**

For all such consumers LMV-1 rate schedule will be applicable. However, the Licensees are authorised to provide "rebate" as they deem fit to the consumers eligible to get supply under this category.

3. **ELECTRICITY DUTY:**

Electricity duty on the above shall be levied in addition at the rates as may be notified by the State Government from time to time.

4. **OTHER PROVISIONS:**

(i) For serving / retired employees and their spouse, the supply will only be given at one place where Licensee's mains exist. The electric supply under this tariff will be given only at one place, within the area of erstwhile UPSEB / its successor companies.

(ii) Concerned executive engineers will take an affidavit from all employees and pensioners that the electricity supplied to their premises is being used exclusively for the purpose of domestic consumption of themselves and their dependants. It will have to be certified by the employees/pensioners that such electricity is not being used for any other purpose or to any individual to whom his house has been rented out. Without any prejudice to any legal action as provided in the legal framework, any misuse to above effect shall invalidate him from the facility of LMV-10 on permanent basis.

(iii) In the event of transfer of the employee, this tariff shall be applied at the new place of posting only when a certificate has been obtained from the

concerned Executive Engineer of the previous place of posting, that the supply under this tariff has been withdrawn at previous place of posting. Further, the employee shall also be required to submit an affidavit that he is not availing the benefit of LMV-10 connection anywhere else in the state.

(iv) Those who are not availing this tariff shall also give a declaration to this effect. This declaration shall be pasted / kept in his service book / personal file / Pensioners record. If the declaration is found wrong, necessary action against the employee shall be taken as per the provisions of service rules. If declaration has already been given at the present place of posting then further declaration is not necessary due to this revision. Pensioners shall also have to give a similar declaration for availing departmental tariff at only one place. In case this declaration is found wrong, this tariff shall be withdrawn forever.

(v) No other concession shall be admissible on this tariff.

(vi) The schedule of miscellaneous charges as appended with Licensee's General Tariff as amended from time to time and Electricity Supply (Consumers) Regulation, 1984 as enforced from time to time shall also be applicable on the employee / pensioner receiving supply under this schedule.

(vii) Retired employees drawing pension from the Treasury / Bank will have to pay the monthly electricity charges as per the rates given in the rate schedule applicable to their category.

सेलग्नक-2

रूपये 10/– के स्टैम्प पेपर पर

LMV-10 के अन्तर्गत विद्युत के घरेलू उपभोग शपथ–पत्र

मैं......................................आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री .... आयु......................जोकि सम्प्रति.................. ....(पदनाम) ....(कार्यालय) पर कार्यरत हूँ/अथवा दिनांक.................................... को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषित करता/करती हूँ :–

1. यह कि मैं ....(आवास का पता) में लगे विद्युत क्नेक्शन के लिए LMV-10 के टैरिफ का उपभोग कर रहा हूँ।
2. यह कि LMV-10 के अन्तर्गत मेरे परिसर में की जा रही विद्युत आपूर्ति का उपभोग मेरे तथा मेरे आश्रितों के द्वारा केवल घरेलू उपभोग के उद्देश्य से किया जा रहा है।
3. यह कि ऐसी विद्युत का उपभोग किसी अन्य उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति द्वारा भी उपभोग नहीं किया जा रहा है जिसे मैनें अपना मकान किराये पर दिया हो।
4. यह कि मैं अन्यत्र कहीं भी LMV-10 की सुविधा का उपयोग नहीं कर रहा हूँ।
5. यह कि LMV-10 की सुविधा के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति का किसी भी समय यदि उक्त दुरूपयोग करते पाया जाता हूँ तो मेरी LMV-10 की सुविधा स्थाई रूप से, किसी भी विधिक कार्यवाही जैसा कि विधिक ढांचे में दिया है, को क्षति पहुँचायें बिना समाप्त कर दिया जाय।

घोषणाकर्ता

सत्यापन

आज दिनांक......................समय.............................. को प्रमाणित करता/करती हूँ की उक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरे ज्ञान, विश्वास तथा सूचना सच व सही है, तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

घोषणाकर्ता

आज दिनांक.................................को शपथकर्ता द्वारा मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से कथन व हस्ताक्षर किया गया जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ।

नोटरी